संख्या- 190 / 2024 /1117 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्कृति निदेशालय के अधिकारियों के कक्ष संख्या- 906, 907, 908 एवं 910 की मरम्मत एवं अन्य विविध कार्यों हेतु लम्बित भुगतान की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5288/सं0नि0-19-स्टोर(906,907,908,910)/2022-23, दिनांक 22 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 164/2023/997/चार-2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के अधिकारियों के कक्ष संख्या- 906, 907, 908 एवं 910 की मरम्मत एवं अन्य संबंधित विविध कार्य GeM Portal के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में GeM Portal के माध्यम से बिड करायी गयी Bid Number: GEM/2023/B/3272326 में कुल धनराशि रू0 18,69,154.00 प्रस्तावित है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के अधिकारियों के कक्ष संख्या- 906, 907, 908 एवं 910 की मरम्मत एवं अन्य संबंधित विविध कार्य GeM Portal के माध्यम से कराये जाने हेतु लम्बित भुगतान रू0 6,78,364.00 (रू0 छः लाख अठहत्तर हजार तीन सौ चौसठ मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) शासनादेश संख्या- 164/2023/997/चार-2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका सदुपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय-34- संस्कृति निदेशालय -25-लघु निर्माण कार्य मद से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 190 /2024 / 1117 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।